न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प सागर

R. 2375-III/14

चैना बल्द हल्कुआ कुशवाहा .

निबासी ग्राम नचनवारा तह एवं जिला टीकमगढ़

.............आवेदक

18 JUL 2014

बिरूद्ध

.............रिस्पॉडेंट

म0 प्र0 शासन

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है:–

1– यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सागर द्वारा प्र0 क0 1020/अ63/07–08 में पारित आलोच्य आदेश दिनॉक 21/02/2014 से परिवेदित होकर कर रहा है जो जानकरी दिनॉक से समय सीमा में है तथा माननीय न्यायालय को अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। निगरानी के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र संलग्न है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त बिवरण इस प्रकार है कि आवेदक को तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा अपने प्र0 क0 261/अ–63/1984–85 में पारित आ0 दि0 25/09/85 के द्वारा ग्राम नचनवारा की भूमि खसरा नं0 0.316, 0,251, 0.281 पर ब्यवस्थापन किया था। आवेदक उपरोक्त भूमि पर अपने पिता के समय से काबिज चलाल आ रहा था। तहसीलदार द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुय पटवारी एवं रानि से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करके तथा अन्य संपूर्ण प्रकियाएं पूर्ण करने के उपरॉत आवेदक के नाम से ब्यवस्थापन किया था। जिसे अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन कि आधार पर कलेक्टर महोदय द्वारा निरस्त कर दिया गया। जिससे परिवेदित होकर आवेदक अन्य आधारों के

R-2375-III/14

ढोलाराम

— 2 —

25-7-16

प्रकरण पेश किया गया। आवेदक की ओर से श्री राजेन्द्र परेलिया अभि० उपस्थित। आवेदक अभि० द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं, इसी स्तर पर समाप्त कर दिया जावे। आवेदक अभि० का निवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण नोट प्रेस में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्र.रा.नि.से.

अध्यक्ष